भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

कैपेक्स और सीपीएसई/पीएसबी/पीएसयू के व्यवसाय की जरूरतों पर आधारित डेबिट ईटीएफ सृजित करने और उसे शुरू करने के लिए एक सलाहकार/ परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) हेतु अनुरोध।

<u>प्रस्तावना</u>

1.1 एक मजबूत कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विकास को, आमतौर पर अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बुनियादी ढां चा क्षेत्र की बड़ी निवेश आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों द्वारा आधारशिला के रूप में जोर दिया गया है। भारत में , सरकारी बॉन्ड मार्केट, जो जीडीपी के संदर्भ में लगभग 30.4% है , की तुलना में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट गौण है जो जीडीपी के संदर्भ में लगभग 13% है। ऋण बाजार में सरकारी प्रतिभूति बाजार और कॉर्पोरेट ऋण बाजार शामिल है। सरकारी प्रतिभूतियां भारत में बकाया बांड की कुल राशि का 79% है।

1.2 सीपीएसई निर्गमकर्ता, कॉरपोरेट बॉण्ड मार्केट के लगातार और नियमित रूप से कारोबा री खंडों में शामिल हैं। सरकार ऋण ईटीएफ/फिक्स्ड इनकम उत्पाद सृजित करने की संभावना तलाश रही है जिसे सीपीएसई स/पीएसबीस/पीएसयूस के लिए ऋण ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाएगा ताकि वे पूंजीगत व्यय की जरूरतों को पूरा करें और भाग लेने वाले सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस अपनी समेकित मजबूती को बढ़ाकर अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इससे तरलता , निवेशकों के आधार और पारदर्शिता में वृद्धि होगी और भाग लेने वाले सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस की उधार योजनाओं को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे निवेशकों और निर्गमकर्ताओं दोनों को फायदा होगा।

2. <u>प्रस्ताव</u>

2.1 सरकार ऋण ईटीएफ/फिक्स्ड इनकम उत्पाद का सृजन करने और उसकी शुरूआत करने में सलाह और सहयो ग करने के लिए ऐसे किसी एक सलाहकार/परामर्शदाता का चयन और नियुक्ति करे गी जिसके पास ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ऋण एमएफ/इंडेक्स लिंक्ड फंड/कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गमों के संबंध में सलाह देने का अनुभव और विशेषज्ञता हो या जो प्रासंगिक क्षमता में शामिल

रहा हो या जिसने इसमें से किसी एक की शुरूआत की हो जिसे आगे ऋण ईटीएफ के रूप में संदर्भित किया जाएगा और जिसमें मुख्य तौर पर सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस आदि द्वारा जारी किए गए बॉन्ड/सीएलएन/प्रोमिसरी नोट्स इत्यादि शामिल होंगे। प्रतिष्ठित व्यापारिक बैंकरों/निवेश बैंकरों/परामर्शदायी फर्मों/वित्तीय संस्थानों/संपत्ति प्रबंधन कंपनियों से, अकेले या एक संघ के रूप में प्रक्रिया में सरकार की सहायता करने और सलाह देने के लिए सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए 16 मई, 2018 को 1600 बजे तक (आईएसटी) नीचे पैराग्राफ 6 में दिए गए दिशानिर्देशों के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

3. <u>सलाहकार/परामर्शदाता के उत्तरदायित्व</u>

3.1 सलाहकार से अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित ऋण ईटीएफ के सृजन और उसकी शुरूआत और प्रबंधन के सभी पहलुओं के संबंध में सरकार को सलाह देना और सरकार के साथ काम करना अपेक्षित होगा जिसमें अभिज्ञात सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस का एक सेट या उनका कोई यथा-निर्णित हिस्सा शामिल होगा और यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए होगी जिसे उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सलाहकार के लिए काम का दायरा दो चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में ऋण ईटीएफ के सृजन में सहायता करना शामिल है, दूसरे चरण में ईटीएफ की शुरूआत करने और पहले निर्गम/पेशकश के प्रबंधन में और निर्गम के पश्चात सरकार को सलाह देना शामिल है जिसमें तरलता, रिडेम्प्शन इत्यादि तथा पहले निर्गम तथा पुनर्निर्गम, उत्तरवर्ती पेशकशों आदि से उत्पन्न अन्य देयताएं शामिल होंगी जिनमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, किंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे :

<u>चरण I</u> : ऋण ईटीएफ की स्थापना के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति के संबंध में विभिन्न विकल्पों की जांच

निगमित निकायों/पीएसयूस के लिए ऋण ईटीएफ या फिक्स्ड इनकम उत्पाद जारी करके निधियां जुटाने की प्रक्रिया के लिए अनेक विभिन्नताएं या विकल्प मौजूद हो सकते हैं और प्रत्येक में कुछ गुण और दोष हो सकते हैं। सलाहकार का काम इनकी विस्तार से जांच करना और पर्याप्त तर्काधार के साथ अनुकूल विकल्प की सिफारिश दीपम को करना होगा, जो ऋण ईटीएफ की स्थापना करने के लिए उसे अपनाए जाने के लिए उसकी जांच करेगा। सलाहकार से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की प्रत्याशा की जाती है :

(i) ऋण ईटीएफ के माध्यम से चुनींदा सीपीएसईस, पीएसबीस, पीएसयूस आदि द्वारा बॉन्ड/सीएलएन/प्रोमिसरी नोट्स इत्यादि जारी करके निधियां जुटाने के लिए सभी विकल्पों की जांच करना;

(ii) अंतर्निहित बॉन्ड/ सीएलएन, प्रोमिसरी नोट्स इत्यादि जैसे अन्य अंतर्निहित प्रपत्रों सहित या रहित ऋण ईटीएफ के निर्माण के लिए सभी विकल्पों का अन्वेषण और जांच करना;

(iii) ऋण ईटीएफ के निर्माण के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करें , जिसमें निवेशकों की मांग के अलावा, उधार लेने की लागत, तरलता, साधन की व्यापारिकता आदि शामिल हैं, और ऋण ईटीएफ के सफल निर्माण के लिए पूर्व-आवश्यकताएं;

(iv) सीपीएसई ऋण ईटीएफ संगठन, संरचना, ट्रांचिंग, व्यापार, लेवच, रिडेम्प्शन इत्यादि के लिए तंत्र के संबंध में बाजार निर्माता/सरकार/अन्य हिस्सेदारों के साथ सलाह और काम करना और ऋण ईटीएफ के प्रमुख विपणन और स्थिति विषयों को विकसित कर ना: उपयुक्त बास्केट परिपक्वता और अन्य संरचना , सूचकांक घटक के संबंध में सलाह देना और बास्केट परिपक्वता तथा अन्य घटकों को मान्य करने के लिए सभी इच्छुक पार्टियों के साथ सर्वेक्षण करना और निवेशक जानकारी जुटाना। ऋण ईटीएफ की संरचना का सुझाव देना जिसमें सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस के घटकों के निबंधन, निर्गमों की परिपक्वता, वेटेज और अपनाई गई पद्धति, कूपन दर, पेशकश करने, तरलता, निर्गम/पुनर्निर्गम पश्चात मुद्दों, अनुवर्ती पेशकशों आदि से संबंधित तंत्र शामिल हैं परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं।

(v) दस्तावेज और कानूनी अनुपालन पर बाजार निर्माता/सरकार/अन्य हिस्सेदारों के साथ सलाह और कार्य।

(vi) उधार योजना को समेकित करने और रिटर्न/रिडेम्प्शन लागू करते हुए उधार कैलेंडर तय करने के बारे में दीपम और उधार लेने वाले सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय के बीच स्थापित किए जाने वाले तंत्र के संबंध में बाजार निर्माता/सरकार/अन्य हिस्सेदारों के साथ सलाह और कार्य।

(vii) विभिन्न विकल्पों की जांच कर ना और बाजार निर्माता/सरकार/अन्य हि स्सेदारों के साथ काम करना, ऐसे उपयुक्त विकल्पों की सलाह देना और उन्हें विकसित करना जिनके माध्यम से ऋण ईटीएफ स्थापित किया जा सके चाहे स्वयं बाजार निर्माताओं द्वारा या सरकार द्वारा या सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस द्वारा ऋण ईटीएफ के पक्ष में बांड/सीएलएन/प्रोमिसरी नोट्स इत्यादि जारी करके धन जुटाने के लिए किसी अन्य वैकल्पिक पद्धति/तरीके का सुझाव देना जिसे बाजार निर्माता द्वारा स्थापित किया जाएगा और जिसमें प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष शामिल हैं।

(viii) ऋण ईटीएफ की स्थापना के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण की सिफारिश करना। सरकार अन्य बातों के साथ -साथ सलाहकार की राय को ध्यान में रखते हुए ऋण ईटीएफ बास्केट तैयार करेगी और एक विपणन योग्य ऋण ईटीएफ उत्पाद तैयार करने का प्रयास करेगी। तथापि, प्रस्तावित ऋण ईटीएफ बास्केट और उसकी संरचना के बारे में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

<u>चरण II</u> : ऋण ईटीएफ की स्थापना, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति के कार्यान्वयन में सहायता

सक्षम अधिकारी के निर्णय पर निर्भर करते हुए इस चरण पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया जा सकता है। तथापि, यदि इस चरण पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाए तो इस चरण में सलाहकार के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं होंगे :

(i) ऋण ईटीएफ उत्पाद के सृजन और शुरूआत, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए मुख्य सूचना ज्ञापन सहित सभी अ पेक्षित दस्तावेज तैयार करने के लिए बाजार निर्माता/विधिक सलाहकार/अन्य हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना: यह सुनिश्चित करना कि सृजित ऋण ईटीएफ, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों और मुख्य सूचना ज्ञापन में बांड/सीएलएन/प्रोमिसरी नोट्स इत्यादि के माध्यम से धन जुटाने के ऋण ईटीएफ तंत्र का पर्याप्त स्पष्टीकरण किया गया है और अधीनस्थ बास्केट की बिक्री के मुख्य विषयों को उपयुक्त रूप से उजागर किया गया है और विनियमों के अनुसार अन्य अपेक्षित दस्तावेज तैयार करना तथा विनियामक /विधायी प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निर्धारित अपेक्षाओं और औपचारिकताओं को पूरा करना।

(ii) ऋण ईटीएफ के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अन्य मध्यस्थों /हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना। ऋण ईटीएफ के लिए यथापेक्षित सरकार/अन्य मध्यस्थों/हिस्सेदारों के साथ आवश्यक करार संपन्न करना।

(iii) बाजार निर्माता/अन्य हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना और प्रस्तावित सीपीएसई ऋण ईटीएफ के समय और उसकी पद्धतियों, कूपन रेट तथा अपेक्षाओं के बारे में सरकार को सलाह देना: विभिन्न सामयिक पहलुओं के संबंध में मूल्यांकन करना और सरकार को सलाह देना जिसमें बाजार परिस्थितियों और बड़े पैमाने पर पर्यावरण शामिल है; विस्तृत कार्य अनुसूची तथा समय-सीमा का मसौदा तैयार करना और उसका अनुसरण करना, जिसमें सरकार और मध्यस्थों आदि के प्रमुख उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से पहचान की गई;

(iv) बाजार निर्माता/अन्य हिस्सेदारों के साथ समन्व य बनाकर कार्य करना और प्रस्तावित ऋण ईटीएफ, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के आकार और उसकी खेपों के संबंध में सरकार को सलाह देना: निर्गमकर्ता के उधार कार्यक्रम और पर्याप्त मांग का सृजन करने के लिए निवेशकों की रूचि के आधार पर आरंभिक ऋण ईटीएफ के आकार के संबंध में सलाह देना और धन जुटाने के लिए भावी ऋण ईटीएफ पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए एक मंच का सृजन करना; निर्गमों के लिए तरीका तैयार करना और इसी के बारे में खेपों की रणनीति तैयार करना;

(v) ऋण ईटीएफ पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए विस्तृत विपणन, वितरण और संचार रणनीति तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए बाजार निर्माता /हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना ; ऋण ईटीएफ, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए खुदरा विपणन योजना की रूपरेखा तैयार करना और विशेषकर विपणन-पूर्व निवेशक शिक्षा के अधीन और अन्य एनएफओ अवधि के दौरान विपणन हेतु अपेक्षित गतिविधियों का सुझाव देना; खुदरा निवेशकों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए

प्रयुक्त मुख्य रणनीति और तंत्रों तथा एचएनआई आधार का मूल्यांकन करना तथा ऋण ईटीएफ उत्पाद, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करना; ऋण ईटीएफ, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए संस्थागत विपणन योजना की रूपरेखा तैयार करना; यह सुनिश्चित करना कि विपणन योजना में न केवल प्रस्तावित ऋण ईटीएफ का ढांचा दिया गया हो, बल्कि सरकार द्वारा ऐसी सभी भावी पेशकशों का ढांचा भी दिया गया हो; उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विपणन बजट को सरकार के साथ अंतिम रूप देने में सहायता करना; और ब्रोकर प्रोत्साहन, प्रसार कार्यक्रमों आदि सहित विस्तृत फुटकर वितरण रणनीति बनाना;

(vi) ऋण ईटीएफ के बारे में बाजार निर्माता/सरकार/अन्य मध्यस्थों/अन्य हिस्सेदारों के साथ समन्वय बनाकर यथापेक्षित विपणन-पूर्व सर्वेक्षण, जागरूकता कार्यक्रम (कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, कार्यक्रम आदि), खुदरा तथा संस्थागत दोनों, जैसा भी अपेक्षित हो, के संबंध में सलाह देना; खुदरा तथा संस्थागत दोनों प्रकार के संभावित निवेशकों में रूचि जगाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार आयोजित करना; मुख्य निवेशकों के साथ बैठकों की व्यवस्था करना , विपणन अनुसंधान करना, संचार को सुविधाजनक बनाना और मुख्य विपणन नीति और ऋण ईटीएफ की स्थिति को उजागर करना।

(vii) बाजार निर्माता/ हिस्सेदारों के साथ समन्वय में कार्य करना , ऋण ईटीएफ के निर्गम, पुनर्निर्गम/उत्तरवर्ती पेशकशों के लिए अन्य ऋण उत्पादों पर बाजार ब्याज दर की तुलना में मूल्य निर्धारण/कूपन दर पर सरकार को सलाह देना ; सभी खंडों में विस्तृत निवेशक प्रतिक्रिया के आधार पर ऋण ईटीएफ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उचित छूट/प्रोत्साहन के संबंध में सलाह देना; अग्रिम तथा बाद में दी जाने वाली छूट के मिश्रण पर सलाह देना;

(viii) बाजार निर्माता/कानूनी सलाहकार/अन्य हिस्सेदारों के साथ समन्वय में कार्य करना , ऋण ईटीएफ के पहले निर्गम और उत्तरवर्ती पेशकशों के संबंध में सेबी, एएमएफआई (यथालागू), स्टॉक एक्सचेंजों, अन्य प्राधिकरणों (यथालागू) के पास दायर किए जाने के लिए दस्तावेज तैयार करना और किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सेबी के साथ संपर्क करना और ऋण ईटीएफ की सफल शुरूआत से अंत तक उठाए गए सभी प्रश्नों का निवारण सुनिश्चित करना; और

(ix) सेबी, स्टॉक एक्सचेंज (सूचीकरण और व्यापार अनुमोदन/कोई अन्य अनुमोदन) , आरबीआई जैसी विभिन्न विनियामक एजेंसियों से और अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों से ऋण ईटीएफ (कूपन दर, पुनर्निर्गम, अनुवर्ती पेशकश इत्यादि) की अंतिम रूपरेखा के आधार पर जहां भी आवश्यक हो , मंजूरी और छूट प्राप्त कर ने में बाजार निर्माता/कानूनी सलाहकार/अन्य हिस्सेदारों को सलाह देना और उनके साथ कार्य करना।

(x) ऋण ईटीएफ योजना आदि में निहित शुरूआत के बाद /निर्गम के प्रावधानों , पुनर्निर्गम/अनुवर्ती पेशकशों से उत्पन्न प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए दीपम को सलाह देना और सहायता करना जारी रखना।

(xi) ऋण ईटीएफ के सृजन और शुरूआत के संबंध में किसी भी अन्य गतिविधियों और जिम्मेदारियों को पूरा कर ना और इस संबंध में सरकार द्वारा यथा-अपेक्षित अन्य सहायता/सलाह प्रदान करना।

(xii) उत्पाद के विकसित होने और मूर्त रूप लेने के संबंध में कोई अन्य कार्य।

काम का उपरोक्त दायरा संके तात्मक है और प्रकृति में सीमाहीन है। ऐसी कुछ प्रासंगिक सेवाएं हो सकती हैं , जिन्हें पूर्वोक्त कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है , लेकिन यदि वे दीपम के संज्ञान में लाई जाएं तो वे कार्य क्षेत्र का एक अभिन्न और अनिवार्य भाग बन जाएंगी।

4. <u>पात्रता</u>

4.1 बोलीदाताओं को :

(i) सेबी के पास पंजीकृत विख्यात मर्चेंट बैंकर /निवेश बैंकर /परामर्शदायी फर्म/वित्तीय संस्थान/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी होना चाहिए।

(ii) बोलीदाताओं द्वारा 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि के दौरान 5,000 करोड़ या उससे अधिक के कुल मूल्य के किसी ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ऋण म्युचुअल फंड/सूचकांक संबंधी फंड की शुरूआत/कारपोरेट बॉन्ड के निर्गम में सलाहकार के रूप में या सौदा क्षमता में भाग लिया गया हो जिनमें से किसी एक निर्गम का न्यूनतम आकार 500 करोड़ का हो।

<u>टिप्पणी</u> : "एक प्रासंगिक क्षमता में शामिल होना बोलीदाता द्वारा प्रस्तुतिकरण के समय अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की संतुष्टि के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए जिसके समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाएगा"।

4.2 जो इच्छुक बोलीदाता ऊपर पैराग्राफ 4.1 में उल्लिखित पात्रता संबंधी मापदंड़ों को पूरा करते हों, उनके लिए प्रस्ताव के एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है ;

"हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे या हमारी किसी सहयोगी कंपनी के विरूद्ध किसी संगीन अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि नहीं पाई गई है या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभ्यारोपण/प्रतिकूल आदेश पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे या हमारी सहयोगी कंपनी या हमारी कंपनी या हमारी सहयोगी कंपनी के सीईओ, निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई जांच लंबित नहीं है।

<u>टिप्पणी 1</u> : यह प्रमाण-पत्र बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रमाण-पत्र की विषय-वस्तु में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, अलग से मांगा जाए।

<u>टिप्पणी 2</u> : हित-टकराव तब अस्तित्व में या उत्पन्न माना जाएगा यदि बोलीदाता सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस से संबंधित किसी ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ ऋण म्युचुअल फंड/इंडेक्स लिंक्ड फंड में सलाह देने/शुरूआत करने की प्रक्रिया में हो या उसी प्रकार के उत्पाद सलाह दे रहा हो/उसकी शुरूआत कर रहा हो।

5. शुल्क तथा व्यय

(i) सलाहकार को शुल्क तथा व्यय का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा :

(क) पहले निर्गम के पश्चात 25%।

(ख) शेष राशि 3 वर्ष की अवधि में 6 बराबर किस्तों में।

(ii) यदि दीपम पुनर्निर्गम/अनुवर्ती पेशकश के लिए सलाहकार की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है तो ऊपर पैराग्राफ 9.1 (i) (ख) में उल्लेख किए गए अनुसार सलाहकार को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iii) उपरोक्त पैराग्राफ 5.5 (i) और (ii) में उल्लिखित शुल्क में सभी लागू कर , उपकर आदि शामिल हैं।

(iv) सभी बिलों को भारतीय रूपये में तैयार किया जाएगा और केवल भारतीय रुपये में ही देय होंगे।

(v) सलाहकार द्वारा किए गए कार्य के वितरण के लिए सलाहकार या उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किए गए किसी जेब खर्च, यात्रा/होटल तथा अन्य लागतों, प्रभारों और खर्चों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा।

(vi) ऋण ईटीएफ की स्थापना के लिए दीपम द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर , दीपम चरण- 1/प्रथम निर्गम के बाद प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। ऐसे मामले में , सलाहकार को देय शुल्क ऊपर उल्लिखित प्रथम निर्गम के लिए देय शुल्क होगा।

6. <u>बोली-पूर्व बैठक</u>

इच्छुक पार्टियों के लिए अपने प्रश्न बोली प्राप्त करने के लिए नीचे पैरा 7 में यथा-उल्लिखित अधिकृत अधिकारी को ई-मेल पर भेजना अपेक्षित है । एक बोली-पूर्व बैठक **27 अप्रैल, 2018** को **पूर्वाह्न 11.00** बजे दीपम के सम्मेलन कक्ष, कमरा सं. 515, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इच्छुक पार्टियां , यदि वे चाहें, बोली-पूर्व बैठक में भाग ले सकती हैं।

7. <u>प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण</u>

7.1 प्रस्ताव को निम्न निदेशों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :

(i) **<u>लिफाफा 1 (गैर-सीलबंद)</u>** जिसके अंदर निम्न सामग्री हो :

(क) "वेतन एवं लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, दीपम, नई दिल्ली" के पक्ष में आहरित, दिल्ली में देय, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **1,00,000 रु. (केवल एक लाख रुपए)** का अप्रतिदाय शुल्क (अनुलग्नक-1);

(ख) पैरा सं. 4.2 के अनुसार प्रमाण-पत्र, जो बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। (अनुलग्नक -2);

(ग) ऐसी घोषणा कि बोलीदाता बोलियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार किसी आदेश के तहत प्रतिबंधित न हो या किसी सरकारी या अर्ध -सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो (अनुलग्नक-4);

(घ) **अनुबंध I** में दिए गए प्रारूप में प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-5); और

(ड.) प्राधिकार पत्र, जिसमें बोलीदाता के व्यक्ति को प्रस्ताव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो (अनुलग्नक-6)।

(च) एक शपथपत्र भी दिया जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा(अनुलग्नक-7)।

(छ) यह प्रमाण-पत्र कि बोलीदाता पैरा 4.1 में दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(ii) **लिफाफा 2 (सीलबंद)** जिसमें पैरा 7.4 में दिए गए प्रारूप के अनुरूप तकनीकी बोली हो, जिसे बोलीदाताओं की मौजूदगी में 16 मई, 2018 को 1630 बजे दीपम के समिति कक्ष (कमरा सं. 515, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003) में खोला जाएगा। बोलीदाताओं को बोलियां खुलने के बाद सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी तकनीकी बोली दीपम को भेजनी होगी।

(iii) **लिफाफा 3 (सीलबंद)** जिसमें अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप में वित्तीय बोली हो और प्रस्तुतीकरणों के बाद केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर चुकी हों। बोलियों को, बोलीदाताओं (जो प्रस्तुतीकरण के आधार पर तकनीकी अर्हता प्राप्त कर चुके हों) की मौजूदगी में, प्रस्तुतीकरणों के तुरंत पश्चात खोला जाएगा। शर्तों के साथ प्रस्तुत की गई बोली, सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.2 प्रस्ताव **(सभी तीन लिफाफे)** की पठनीय मूल प्रतियां, जो बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, **श्री जगदीश कुमार**, **उप निदेशक, दीपम, चतुर्थ तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003** के पास दिनांक **16 मई, 2018 को 1600 बजे** तक जमा की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के डाक/कोरियर संबंधी विलंब के लिए कंपनी/भारत सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

7.3 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

7.4. <u>प्रस्ताव का प्रारूप</u>

प्रस्तावों को निम्नलिखित खण्डों के अनुसार, विस्तृत रूप से जमा करना होगा। प्रत्येक मानदण्ड के संबंध में बोलीदाताओं के मूल्यांकन हेतु भार को प्रत्येक खण्ड के सामने दर्शाया गया है।

खण्ड (क) : <u>इसी प्रकार के सौदों के संचालन का अनुभव एवं क्षमताएं</u>
(मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)

(i) संस्था का ब्यौरा, जिसमें संभावित सलाहकार (बोलीदाता) के संविधान, स्वामित्व तथा व्यावसायिक गतिविधियों का पूर्ण विवरण हो।
संघ बोली के मामले में, समन्वयक फर्म, जिसके पास अधिदेश का मुख्य उत्तरदायित्व हो (Consortium Leader) तथा इसके साथ अन्य भागीदारों का ब्यौरा, प्रत्येक भागीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए । संघ बोलीदाता का उत्तरदायित्व 'संयुक्त' एवं 'पृथक' होगा।
नोट : संघ को एक पार्टी माना जाएगा। एक संघ के भागीदार को, दूसरे संघ के भागीदार के रूप में, बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली फर्म तथा प्रत्येक संघ भागीदार, यदि लागू हो, की पिछले तीन वर्षों की विस्तृत वार्षिक रिपोर्टें या लेखापरीक्षित वित्तीय लेखे।

(iii) लंबित मुकदमा या आकस्मिक देयता, यदि कोई हो, तो इसका पूर्ण उल्लेख किया जाए। प्रर्वतकों/भागीदारों, निदेशकों आदि के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि और लंबित मुकदमों, यदि कोई हो, का विस्तृत विवरण तथा संभाव्य हितों के टकराव के क्षेत्रों को भी दर्शाया जाए।

नोट : संघ के मामले में प्रत्येक प्रस्तावित भागीदार का इसी प्रकार का ब्यौरा अपेक्षित होगा।

(iv) आंतरिक क्षमताएं तथा ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ऋण म्युचुअल फंड/सूचकांक संबंधी फंड/कारपोरेट बॉन्ड निर्गम और इसी प्रकार के उत्पादों की शुरूआत और प्रबंधन में अनुभव का ब्यौरा ; कारपोरेट बॉन्ड के संचालन में विशेषज्ञता ; ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ऋण म्युचुअल फंड/सूचकांक संबंधी फंड/कारपोरेट बॉन्ड निर्गम और इसी प्रकार के उत्पादों का संचालन करने और दस्तावेज आ दि तैयार करने वाले आंतरिक प्रभागों की सुदृढ़ता का ब्यौरा ; स्थानीय तथा वैश्विक विश्वसनीयता का ब्यौरा दें।

(v) ईटीएफ/ऋण ईटीएफ/ऋण म्युचुअल फंड/इंडेक्स लिंक्ड फंड/कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने या इसी तरह के उत्पादों को लॉन्च और प्रबंधित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज/इंडेक्स प्रदाताओं/वितरकों सहित विभिन्न मध्यस्थों के साथ बोलीदाता द्वारा की गई साझेदारी/टाई-अप का विवरण।

(vi) ईटीएफ की समझ और निवेश शोध पर बल : किसी ईटीएफ/ऋण ईटीएफ के सृजन और शुरूआत से सहबद्ध क्रमानुसार प्रक्रिया , संभावित निवेशक श्रेणी , व्यय की संरचना , प्रोत्साहन तंत्र आदि।

खण्ड (ख): <u>विनिवेश विभाग/दीपम के साथ विगत कार्य निष्पादन (01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक)</u>

(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) विभिन्न निर्गमों में आवेदनों की संख्या तथा जुटाई गई निर्गम राशि, जिसमें विनिवेश विभाग/दीपम ने भी भारत सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश किया हो।

(ii) डील टीम की गुणवत्ता तथा सौदों के दौरान उत्पन्न मामलों को निपटाने की क्षमता।

(iii) डील टीम की विनियामक ढांचे की समझ तथा दीपम/कंपनी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की समयबद्धता तथा गुणवत्ता।

नोट : वे बोलीदाता, जिन्होंने विगत में विनिवेश विभाग/दीपम के साथ कोई भी कार्य नहीं किया है, उपरोक्त खण्ड 'ख' को छोड़कर सभी मापदंडों के आधार पर मूल्यांकित किये जाएंगे तथा उन्हें 100 के स्थान पर 90 में से अंक दिये जाएंगे एवं तत्पश्चात उन्हें आनुपातिक रूप से 100 के स्केल में बढ़ा दिया जाएगा ताकि वे न तो लाभ की स्थिति में हो एवं न ही नुकसान की स्थिति में।

खण्ड (ग) : <u>क्षेत्र विशेषज्ञता, अनुभव और सूचीबद्ध सीपीएसईस तथा पीएसबीस/पीएसयूस/उन निगमित कंपनियों की समझ, जिनमें भारत सरकार की धारिता हो</u>

(मूल्यांकन हेतु महत्व 20/100)

(i) जिन क्षेत्रों में बड़े बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसईस /पीएसबीस/पीएसयूस की मौजूदगी हो , जैसे कि ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, विद्युत, अभियांत्रिकी, रसायन एवं उर्वरक, पोत परिवहन आदि, उन क्षेत्रों में किए गए कार्य दर्शाएं- जैसेकि किया गया अध्ययन या अनुसंधान।

(ii) ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में अपनी सुदृढ़ता/विशेषज्ञता, यदि कोई हो, दर्शाए ।

(iii) 01.04.2015 से लेकर 31.03.2018 तक ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों में संपन्न की गई सार्वजनिक पेशकशें।

(iv) ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, विद्युत, अभियांत्रिकी, पोत परिवहन, रसायन एवं उर्वरक आदि जैसे क्षेत्रों में संचालित सूचीबद्ध सीपीएसईस /पीएसबीस/पीएसयूस और जिन निगमित कंपनियों में भारत सरकार की धारिता हो, उनके संबंध में संपन्न की गई अनुसंधान रिपोर्टें।

(v) बड़े बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसईस/पीएसबीस/पीएसयूस और जिन निगमित कंपनियों में भारत सरकार की धारिता हो, उनका एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण।

(vi) ऋण ईटी एफ के प्रस्तावित सृजन और उसकी शुरूआत से जुड़ी विभिन्न रूपरेखाओं का वर्णन - संभावित आकार, समय, शेयरों की संभावित संरचना , संभावित निवेशक श्रेणी के संबंध में सिफारिश करें और चुनौतियों, यदि कोई हों, के बारे में उल्लेख करें।

खण्ड (घ) : <u>डील टीम की योग्यता तथा सौदे के लिये मानव शक्ति की प्रतिबद्धता</u>
(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) मुख्य टीम (कोर टीम), जो सौदे को संचालित करेगी, का विस्तृत विवरण, संस्था में उनका दर्जा, उनकी पृष्ठभूमि, योग्यता, अनुभव एवं वर्तमान पता, दूरभाष संख्या - कार्यालय, निवास, मोबाइल, ईमेल आदि-व्यवहारिक अनुभव का विवरण दिया जाए । पर्यवेक्षी टीम का भी इसी प्रकार का विवरण अलग से दिया जाए।अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले अन्य पेशेवरों का विवरण अलग से दिया जाए।

(ii) इस संबंध में एक शपथपत्र भी दिया जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

खण्ड (ड) : <u>बाजार रणनीति एवं निर्गम-पश्चात् बाजार सहयोग</u>
(मूल्यांकन हेतु महत्व 15/100)

(i) ईटीएफ पेशकश के लिए खुदरा विपणन : विशेषकर विपणन-पूर्व, निवेशक शिक्षा के अधीन और निर्गम/पुनर्निर्गम/अनुवर्ती पेशकशों की अवधि के दौरान विपणन हेतु अपेक्षित गतिविधियों का सुझाव देना;

(ii) खुदरा निवेशकों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रयुक्त मुख्य रणनीति और तंत्रों तथा एचएनआई आधार का मूल्यांकन करना तथा ईटीएफ उत्पाद के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करना;

(iii) ईटीएफ पेशकश के लिए संस्थागत विपणन योजना : संस्थागत मांग के प्रासंगिक समूहों तथा प्रचार-प्रसार/अपेक्षित निवेशक संवाद के बारे में सुझाव देना;

(iv) प्रस्तावित प्रचार-प्रसार का स्थान तथा उपरोक्त स्थान का सुझाव देने के कारण;

(v) मांग विश्लेषण तथा मांग पर प्रभाव डालने वाले पहलू;

(vi) सिंडिकेट के प्रोत्साहन हेतु प्रस्ताव;

(vii) ईटीएफ में बिक्री की जाने वाली सरकारी धारिता के मूल्य निर्धारण के लिए कार्यपद्धति;

(viii) प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियों के अलग-अलग ब्यौरे के साथ प्रस्तावित ऋण ईटीएफ/पुनर्निर्गम/अनुवर्ती पेशकशों की शुरूआत के लिए वास्तविक समय अनुसूची दर्शाएं;

(ix) पश्च बाजार तरलता बनाए रखने तथा इस पद्धति के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सुझाव देना।

खण्ड (च) : <u>स्थानीय उपस्थिति तथा भारत के प्रति प्रतिबद्धता तथा फुटकर निवेशक भागीदारी आकर्षित करने की सुदृढ़ता</u>

(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दोनों के आधार पर, विशेषकर अनुसंधान टीम तथा उपलब्ध आधारभूत संरचना के संदर्भ में, बोलीदाताओं की भारत में उपस्थिति को प्रमाणित करने हेतु एक संक्षिप्त नोट दिया जाए। विवरण में निवेश बैंकिंग (इक्विटी सेगमेंट) में नियोजित श्रमशक्ति , भारत में कार्यालय और अन्य संबंधित सूचना शामिल होनी चाहिए। नोट में सार्वजनिक पेशकशों तथा ऋण ईटीएफ/ऋण एमएफ/इंडैक्स लिंक्ड फंड्स की पेशकशों में खुदरा भागीदारी को आकर्षित करने का पिछला अनुभव, यदि कोई हो, भी शामिल होना चाहिए।

खण्ड (छ): <u>वैश्विक उपस्थिति</u>

(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

(i) वैश्विक नेटवर्क दर्शाएं।

(ii) ईटीएफ वितरण के दृष्टिकोण से प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के साथ आपसी समझ एवं संबंध।

खण्ड (ज): <u>अनुसंधान क्षमता</u>

(मूल्यांकन हेतु महत्व 10/100)

स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों द्वारा यथा-स्थापित रेटिंग के आधार पर देश, क्षेत्र, प्रांत तथा विश्व में अनुसंधान क्षमता - यह विवरण, अनुसंधान टीम की अनुसंधान क्षमता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि के संबंध में दिया जाए ।

7.5 मांगी गई उपरोक्त संपूर्ण जानकारी को, उस अतिरिक्त जानकारी के साथ, जो बोलीदाता प्रस्ताव के भाग के रूप में आवश्यक समझता हो, पैरा 7.2 में उल्लिखित अधिकारी को भेजा जाए (12 फॉन्ट साइज में अधिकतम 10 पृष्ठ)।

8. <u>चयन की प्रक्रिया</u>

(i) अर्हताप्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को प्रस्तावित सौदे हेतु, ऊपर पैरा 7.4 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप अपनी योग्यताओं का प्रस्तुतीकरण , अन्तर-मंत्रालय समूह के समक्ष, दीपम के समिति कक्ष सं. 515, पांचवा तल, ब्लॉक संख्या 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003 में करना होगा। प्रत्येक बोलीदाता के लिए प्रस्तुतीकरण की तारीख और समय की जानकारी, दीपम की वेबसाइट (www.divest.nic.in) पर उचित समय पर डाल दी जाएगी। मुख्य टीम का टीम लीडर ही उक्त प्रस्तुतीकरण करेगा।

(ii) बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 7.4 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा किया जाएगा तथा वह उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया

जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों।

(iii) बोलीदाताओं को, उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के पश्चात, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाता , यदि वे इच्छुक हों तो, वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की जाएगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय की घोषणा प्रस्तुतीकरण के समय की जाएगी।

(iv) तकनीकी मूल्यांकन में संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों को 70 अंक की महत्ता (weightage) दी जाएगी। इसी प्रकार, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को 30 अंक की महत्ता दी जाएगी। तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संयुक्त अंक एच 1, एच 2 तथा एच 3 एवं अन्य का निर्धारण करेंगे।

(v) उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सर्वाधिक संयुक्त अंक/प्वाइंट प्राप्त करने वाली पार्टी (एच1) को सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

9. <u>वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं</u>

9.1 बोलीदाता को सौदे हेतु अपना शुल्क भारतीय रुपये में (मुहरबंद लिफाफे में) उद्धृत करना होगा। उद्धृत फीस**,** कम से कम 1.00 (एक रुपया) या 1.00 रुपए **(**एक रुपए**)** का गुणक होनी चाहिए, अन्यथा वित्तीय बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। बोलीदाता द्वारा उद्धृत फीस में, सभी लागू कर, उपकर, शुल्क आदि सम्मिलित होने चाहिए। फीस के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करते समय विभिन्न करों को अलग-अलग दर्शाना होगा। सभी बिलों को भारतीय रुपये में देना होगा जिसका भुगतान, सौदे की सफल एवं संतोषजनक समाप्ति पर भारतीय रुपये में ही किया जाएगा।

9.2 नए ईटीएफ प्रदाता या किसी अन्य मध्यस्थ जैसे कि विधिक सलाहकार जिसकी सलाहकार द्वारा नियुक्ति की जाए, के शुल्क से संबंधित व्यय वित्तीय बोली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

9.3 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। यात्रा संबंधी व्यय तथा फुटकर व्यय और सलाहकार द्वारा कार्य संपन्न करने हेतु अन्य सभी व्यय सलाहकार द्वारा ही किए जाएंगे। तथापि, केवल सरकारी अधिकारियों के दौरो से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में व्यय का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।

9.4 सभी बोलीदाता, विधि के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

10. <u>नियुक्ति का समापन</u>

यदि भारत सरकार की राय में, चयनित सलाहकार/परामर्शदाता इसमें निर्धारित अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का लागू नियामक/सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्वहन करने में असमर्थ हो, या चयनित सलाहकार/परामर्शदाता की ओर से किसी भी सकल लापरवाही , बदनीयती, जालसाजी, बेईमानी, सोचे-समझे दुर्व्यवहार या सोची-समझी चूक की स्थिति में सरकार 30 (तीस) दिनों का लिखित नोटिस देकर सलाहकार/परामर्शदाता की नियुक्ति को समाप्त कर देगी।

11. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु श्री जगदीश कुमार, उप निदेशक, दीपम, वित्त मंत्रालय, चतुर्थ तल, ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, ई-मेल j.kumar75@nic.in, फोन नं. 011-24368036 पर संपर्क करें।

******

अनुबंध-I

<u>बोलीदाता के लैटरहैड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऋण ईटीएफ के सृजन और शुरूआत के लिए सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क, दीपम की वेब साइट पर दर्शाए गए, प्रस्तावों हेतु अनुरोध, में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित मर्चेंट बैंकर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

<u>अनुबंध-II</u>

वित्तीय बोली

उद्धृत एकमुश्त शुल्क :

(करों और उपकरों को मिलाकर) (अंकों में)

(शब्दों में)

टिप्पणी :

(i) एकमुश्त उद्धृत शुल्क कम से कम एक रुपया और उसके बाद एक रुपये के गुणांक में होना चाहिए।

(ii) उद्धृत शुल्क शब्दों और अंकों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या पर विचार किया जाएगा।

(iii) सरकार/दीपम कार्य क्षेत्र में परिभाषित या उसकी प्रासंगिक/संबंधित गतिविधियों/प्रक्रिया के संबंध में उद्धृत शुल्क के अलावा किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होंगे।

(iv) वित्तीय बोली की अपेक्षाओं के लिए कृपया पैरा 9 का संदर्भ लें।

हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में किसी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लिया जाए।